

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यवस्था की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2007—श्रावण 13, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्र. 4858-313-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अगस्त 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००७.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण)
अधिनियम, २००७.

विषय-सूची

अध्याय—एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. लागू होना.
३. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

४. समिति का गठन, संरचना, निर्वाह तथा कृत्य.

अध्याय—तीन

प्रवेश

५. पात्रता.
६. सामान्य प्रवेश परीक्षा.
७. प्रवेश.
८. स्थानों का आरक्षण.

अध्याय—चार

फीस का निर्धारण

९. कारक.

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

१०. अपील.
११. अधिनियम का अप्पारोही प्रभाव होगा.
१२. नियम बनाने की शक्ति.
१३. विनियम बनाने की शक्ति.
१४. नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.
१५. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१६. सर्वप्रारंभिक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१७. निरसन तथा व्यवृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००७.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७.

[दिनांक 4 अगस्त, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 4 अगस्त, 2007 को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा फीस के निर्धारण के लिए उपबंध करने तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण हेतु तथा उनसे संसक्त या आनुपंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
- (३) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. यह अधिनियम निम्न पर लागू होगा — लागू होना.
 - (क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित तथा पोषित संस्थाओं से भिन्न विश्वविद्यालय सम्झी जाने वाली संस्थाएं या उनकी संघटक इकाइयां जो व्यावसायिक शिक्षा दे रही हैं; और
 - (ख) किसी केन्द्रीय या मध्यप्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं.
३. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.
 - (क) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों और शर्तों को अधिकृत करने के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य प्राधिकारी;
 - (ख) "केपॉटेशन फीस" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन अवधारित फीस के अतिरिक्त, कोई भी रकम, जो या तो नकद में या वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त या संगृहीत या प्राप्त की गई हो, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
 - (ग) "समिति" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति;

- (घ) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणानुगुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिये केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणानुगुण के लिये संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;
- (ङ) "फ़ीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फ़ीस सहित समस्त फ़ीस तथा विकास प्रभार;
- (च) "विदेशी अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, विदेशी पासपोर्ट धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा दे रहे किसी डीम्ड विश्वविद्यालय में या सहायता न पाने वाले किसी निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश चाहता है;
- (छ) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है, सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ज) "अल्पसंख्यक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, २००४ (२००५ का २) की धारा-२ (च) के अधीन परिभाषित अल्पसंख्यक;
- (झ) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा दे रही ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित की गई हो;
- (ञ) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा ११५-ग के खण्ड (ड) में उसके लिये दिया गया है;
- (ट) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८५-२५-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ठ) "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवृत्त वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;
- (ड) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, समुचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित अध्ययन पाठ्यक्रम जैसी उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ढ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या विनियमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का संख्यांक ३) की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाली किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
- (ण) "आरक्षित स्थान" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किये गये स्थान, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अभिसूचित किया जाय;

- (त) "स्वीकृत अंतर्ग्रहण" से अभिप्रेत और विवक्षित है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये स्वीकृत स्थानों की कुल संख्या;
- (थ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (द) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

अध्याय—दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

४. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस का निर्धारण के लिए एक समिति गठित करेगी जिसे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति कहा जायेगा.

समिति का गठन,
संरचना, निरहता
तथा कृत्य

(२) समिति की अध्यक्षता सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा की जायेगी जो किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी गई संस्था का कुलपति रहा हो या ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो और इसके अन्तर्गत चार अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वित्त, प्रशासन या चिधि, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो.

(३) समिति का कार्यकाल उसके अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा तथा किसी भी कारण से इससे पूर्व उद्भूत होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के शेष भाग के लिये ऐसी रिक्ति भरी जायेगी.

(४) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेंगी कि उसमें कोई रिक्ति है या समिति के गठन में कोई त्रुटि है.

(५) कोई व्यक्ति, जो सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली निजी शिक्षण संस्था से संबद्ध है, समिति का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा.

(६) समिति का सभापति (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रहेगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे राज्य सरकार की राय में उसका समिति का सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में बना रहना अनुपयुक्त हो गया है.

(७) समिति, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किये गये विनियमों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी.

(८) समिति, सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से या डीम्ड विश्वविद्यालय से विहित तारीख तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि समिति को फीस का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जो कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम

के संबंध में संस्था द्वारा प्रभारित की जाएगी और इस प्रकार अवधारित की गई फीस, ऐसी कालावधि के लिये विधिमान्य होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए.

(९) समिति, इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश, कैंपेडेशन फीस या अवधारित की गई फीस से अधिक फीस के संग्रहण या किसी संस्था द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में शिकायतों को सुन सकेगी और यदि समिति जांच के पश्चात् यह पाती है कि सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था की ओर से प्रवेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह संबंधित व्यक्ति को, संग्रहीत की गई अधिक रकम की वापसी के लिये समुचित अनुशंसा करेगी और सरकार को दस लाख रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिये भी अनुशंसा करेगी तथा सरकार ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर, प्रत्येक ऐसे उल्लंघन की दशा में जुर्माने को निर्धारित करेगी और उसे संग्रहीत करेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिये विनिश्चय करेगी, कि जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार नियत की गई रकम उस पर व्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी और समिति किसी विशेष महाविद्यालय या संस्था में किन्हीं या समस्त स्थानों के संबंध में दिये गये प्रवेश को गुणागुण के विपरीत तथा अविधिमान्य घोषित कर सकेगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय को इसे संसूचित करेगी तथा विश्वविद्यालय, ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित करेगा एवं पूर्व में दी गई परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर देगा.

(१०) समिति का, यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी को ऐसे महाविद्यालय या संस्था की संबद्धता या मान्यता वापस लेने के लिये अनुशंसा कर सकेगी या कोई अन्य कार्रवाई करने का विनिश्चय कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(११) समिति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जबकि वह किसी वाद का विचारण कर रही हो, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी, जब तक कि निम्नलिखित मामलों के विषय में वाद का विचारण चल रहा हो, अर्थात् :—

- (क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना.

(१२) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति में किया गया है.

अध्याय—तीन

प्रवेश

पात्रता.

५. किसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए पात्रता ऐसी होगी जैसा कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए.

सामान्य
परीक्षा.

६. सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में स्वीकृत अंतर्ग्रहण में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर, ऐसी रीति में होगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

७. सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रत्येक प्रवेश, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा और इसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा।

८. भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से भिन्न सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रवेश के प्रक्रम पर स्थानों का आरक्षण किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, स्थानों का आरक्षण।

अध्याय—चार

फीस का निर्धारण

९. (१) समिति, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रधारित की जाने वाली फीस, कारक विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी;

- (एक) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति;
- (दो) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;
- (तीन) भूमि और भवन का मूल्य;
- (चार) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और उपस्कर;
- (पांच) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय;
- (छह) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिये आवश्यक युक्तियुक्त आधिव्यय;
- (सात) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(२) समिति किसी फीस के निर्धारण के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी :

परन्तु समिति द्वारा निर्धारित की गई ऐसी कोई फीस, शिक्षा में मुनाफाखोरी या उसके वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

१०. राज्य सरकार एक समय में एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिये अपील प्राधिकारी को नियुक्त करेगी अपील जिसमें ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या ऐसा व्यक्ति जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, होगा, और जिसके समक्ष राज्य में समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश के पारित होने के ३० दिन की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगी।

११. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम का विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति. १२. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

विनियम बनाने की शक्ति. १३. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाने गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध हों सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) समिति का गठन एवं कार्य और निबंधन तथा शर्तें;
- (ख) व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों का आवंटन जिसमें विदेशी या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है;
- (ग) किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण की रीति या मानदण्ड;
- (घ) व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किये जाएं.

नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना. १४. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाईयें दूर करने की शक्ति. १५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. १६. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अपील प्राधिकारी अथवा समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्यों के विरुद्ध नहीं होगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति. १७. (१) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अध्यादेश, २००७) (क्रमांक ४ सन् २००७) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्र. 4859-313-इक्वीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2007

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I PRELIMINARY

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Application.
3. Definitions.

CHAPTER II ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE

4. Constitution, composition, disqualification and functions of Committee.

CHAPTER III ADMISSIONS

5. Eligibility.
6. Common entrance test.
7. Admission.
8. Reservation of seats.

CHAPTER IV FIXATION OF FEE

9. Factors.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

10. Appeal.
11. Act to have overriding effect.
12. Power to make rules.
13. Power to make regulations.
14. Rules to be laid before Legislative Assembly.
15. Power to remove difficulties.
16. Protection of action taken good faith.
17. Repeal and Savings.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2007.

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007.

[Received the assent of the Governor on the 4th August, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th August, 2007].

An Act to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private professional educational institutions in the State of Madhya Pradesh and to provide for reservation of seats to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes in professional educational institution and the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Vinayaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Application.

2. This Act applies to,—

- (a) institutions deemed to be universities, or constituent units thereto, imparting professional education, other than those promoted and maintained by the Central or State Government; and
- (b) the private unaided professional educational institutions affiliated to a university established under the Central or Madhya Pradesh Act.

Definitions.

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "appropriate authority" means a Central or State authority established by the Central or the State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of professional education;
- (b) "capitation fees" means any amount by whatever name called whether in cash or in kind paid or collected or received directly or indirectly in addition to the fees determined under this Act;
- (c) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under section 4;
- (d) "common entrance test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;
- (e) "fee" means all fee including tuition fee and development charges;
- (f) "foreign candidate" means a person holding a foreign passport seeking admission in a deemed university imparting professional education or in a private unaided professional institution in Madhya Pradesh;

- (g) "management" means any person or body, by whatever name called, managing and controlling the private unaided professional educational institution;
- (h) "minority" means a minority defined under section 2(f) of the National Commission for Minority Educational Institution Act, 2004 (2 of 2005);
- (i) "minority institution" means an institution imparting professional education, established and administrated by a minority;
- (j) "non-resident Indian" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 115C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (l) "private unaided professional educational institution" means a professional educational institution which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any public body;
- (m) "professional course" means a course of study notified as a professional course by the appropriate authority, such as a degree, diploma or certificate by whatever name called;
- (n) "professional educational institution" means a college or a school or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to a State University, including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or constituent unit of a deemed to be university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;
- (o) "reserved seats" means the seats reserved in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may be notified by the State Government;
- (p) "sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an appropriate authority and notified by the State Government for admitting students in each course of study in a professional institution;
- (q) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution;
- (r) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution.

CHAPTER II ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE

4. (1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, constitute a Committee to be called the Admission and Fee Regulatory Committee, for the supervision and guidance of the admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a private professional educational institution.

Constitution, composition, disqualifications and functions of Committee.

(2) The Committee shall be presided by a Chairperson who has been a Vice-Chancellor of a Central University or a State University or an institution deemed to be University or a senior administrative officer not below the rank of Principal Secretary to the State Government or Joint Secretary to the Government of India and shall include four other members having expertise in matters of finance, administration or law, technical education and medical education.

(3) The term of the Committee shall be three years from the date of its notification and in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder of the term.

(4) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.

(5) No person who is associated with a private aided or unaided educational institution shall be eligible for being a member of the Committee.

(6) The Chairperson or any member of the Committee shall cease to be so, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is unbecoming of Chairperson or a member of the Committee.

(7) The Committee may frame its own procedure in accordance with the regulations notified by the State Government in this regard.

(8) The Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee that may be charged by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the State Government.

(9) The Committee may hear complaints with regards to admission in contravention of the provisions contained herein, collecting of capitation fee or fee in excess of fee determined or profiteering by any institution, and if the Committee after enquiry finds that there has been any violation of the provisions for admission on the part of the unaided professional colleges or institution, it shall make appropriate recommendations for returning any excess amount collected to the person concerned, and also recommend to the Government for imposing a fine upto rupees ten lakhs, and the Government may on receipt of such recommendation, fix the fine and collect the same in the case of each such violation or decide any other course of action as it deem fit and the amount so fixed together with interest thereon shall be recovered as if it is an arrear of land revenue, and the committee may also declare admission made in respect of any or all seats in a particular college or institution to be de hors merit and therefore invalid and communicate the same to the concerned university, and on the receipt of such communication, the University shall debar such candidates from appearing in the examination and cancel the results of examination already appeared for.

(10) The Committee may, if satisfied that any unaided professional college or institution has violated any of the provision of this Act and after approval of the State Government, recommend to the University or appropriate authority for withdrawal of the affiliation or recognition of such college or institution or decide any other course of action as it deems fit.

(11) The Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions and shall for the purposes of making any enquiry under this Act have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) issuing commissions for the examinations of witnesses.

(12) The Committee shall ensure that the admission in an institution is done in a fair and transparent manner.

CHAPTER III ADMISSIONS

5. The eligibility for admission to a private unaided professional educational institutional shall be such as may be notified by the appropriate authority. Eligibility.

6. In private unaided professional educational institution, admission to sanctioned intake shall be on the basis of the common entrance test in such manner as may be prescribed by the State Government. Common entrance test.

7. Every admission to private unaided professional educational institution shall be made in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder and every admission made in contravention thereof shall be void. Admission.

8. In admission to private unaided professional educational institutions, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens as may be prescribed by the State Government. Reservation of seats.

CHAPTER IV FIXATION OF FEE

9. (1) Having regard to,— Factors.

- (i) the location of the private unaided professional educational institution;
- (ii) the nature of the professional course;
- (iii) the cost of land and building;
- (iv) the available infrastructure, teaching, non teaching staff and equipments;
- (v) the expenditure on administration and maintenance;
- (vi) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution;
- (vii) any other relevant factor,

the Committee shall determine, in the manner prescribed, the fee to be charged by a private unaided professional educational institution.

(2) The Committee shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee :

Provided that no such fee, as may be fixed by the Committee, shall amount to profiteering or commercialization of education.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

10. The State Government shall appoint for not more than one year at a time, an appellate authority, consisting of a person who has been a judge of the High Court, or a person who has Appeal.

held office not below the rank of the Chief Secretary of a State, before which a person or a professional institution aggrieved by an order of the Committee in the State may file an appeal, within a period of 30 days of passing of such an order.

Act to have overriding effect.

11. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to make rules.

12. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

13. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the constitution and working, and terms and conditions of the Committee;
- (b) the eligibility of admission, manner of admission and allocation of seats in a professional institution including the reservation of seats for foreign or non-resident Indian Candidate;
- (c) the manner or criteria of determination of fee to be charged by a professional institution from the candidates;
- (d) the fees to be charged by the professional educational institution from the candidates;
- (e) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

Rules to be laid before Legislative Assembly.

14. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before Legislative Assembly.

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the appellate authority or Chairperson and members of the Committee for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Repeal and Savings.

17. (1) The Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhyadesh, 2007 (No. 4 of 2007) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.